न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज०
पीठासीन अधिकारी - श्री धीरेन्द्र सिंह R.A.S.

मुकदमा सं०	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
26/18	14.02.2018	22.10.2019

अनुवाद

[1] देवदत्त पुत्र श्री जगराम जाति अहीर निवासी कुतुबपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)

—वादी

बनाम

[1] सुमेर सिंह
[2] किशन सिंह
[3] रोशन लाल
[4] देशराज
[5] उदयवीर पुत्रान श्रीराम जाति अहीरान निवासी कुतुबपुर तहसील कोटकासिम
[6] सुरेन्द्र
[7] संजीव
[8] ईश्वर
[9] जसवन्त पुत्रान जयपाल
[10] मनभावती पत्नि जयपाल
[11] राजाराम पुत्र छज्जा (फौत)
[12] सुमन देवी
[13] ईमरती देवी पुत्रीयान जयपाल जाति अहीरान निवासी कुतुबपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)
[14] उप पंजीयक अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
[15] राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (कॉल होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम (अलवर) राज० — प्रतिवादीगण

दावा तकासमा अराजी मय हुक्म ईमतनाई दवामी
अं० धा० 53, 188 राज० टी० एक्ट 1955

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

उपस्थित :-

[1] श्री आनन्द राव अभिभाषक वादी

[2] " सुरेन्द्र सिंह यादव अभिभाषक प्रतिवादीगण

वादी ने मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित होकर एक वाद तकासमा आराजी मय दुरुस्ती इन्द्राज बाबत अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. टी. ए. 1955 का इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नं. 538/10-14 बीघा वाके ग्राम कायमपुर जोस्वास तहसील कोटकासिम में मिन वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा. 13 की सामलाती खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य बाकायदा बटवारा हो रहा है जिस पर काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी में मिन वादी का 1/2 हि. है। मिन वादी ने विवादित आराजी में 1/2 हि. खरीद किया है जिस पर बोरिंग कर रखी है। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 13 ने मिन वादी से 3-4 साल बाद खरीद की है। प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से में बोरिंग कर रखी है। सामलाती बोरिंग तरफ दक्षिण में अपने हिस्से में कर रखी है। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 13 जबरन जोर के बल पर हिस्सा मुख्य सड़क का तरफ पूर्व का हिस्सा लेने पर उतारू है एवं आये रोज वादी के हिस्से के कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत करते रहते हैं। इसलिए मिन वादी विवादित आराजी में जो 1/2 हिस्सा बाद्ध्मी बटवारे में तरफ उत्तर पश्चिम का हिस्सा आर पार आया हुआ है उस हिस्से का वादे मौका नक्शा बाकायदा कुर्रेजात कायम कराकर अपना अलग खाता कायम कराने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 6 लगा. 13 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब दावा पेश किया। जिसमें अंकित किया कि विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 13 मुताबिक राजस्व रिकार्ड के कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसमें वादी का हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

तरफ पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा की ओर आर पार का 1/2 हिस्सा है जिसमें वादी ने प्रतिवादीगण से पहले खरीद किया है। विद्युत कनेक्शन भी वादी ने लिया हुआ है। जबकि प्रतिवादीगण को दिनांक 23.3.1987 को खरीद किया और खरीदने के बाद से ही दिशा पूर्व की ओर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है और बोरिंग कर ली थी। प्रतिवादीगणों का हिस्सा तरफ पूर्व की ओर से मुख्य सड़क निकलने की वजह से वादी के मन में बदनीयती आ गई और खातेदारान के हिस्से की आराजी को शामलात के राजस्व रिकार्ड में अंकित होने का सहारा लेकर वादी, प्रतिवादीगणों की आराजी में से सड़क की तरफ हिस्सा लेना चाहता है। समस्त कहानी वादी ने मिथ्या, झूठी, काल्पनिक तथ्यों पर दर्ज की है जो हर सूरत में काबिले खारिज है। विशेष कथन में प्रतिवादीगण ने अंकित किया कि विवादित आराजी पर खातेदारान वक्त खरीद से ही शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। वादी, खातेदारान के खिलाफ किसी भी तरह से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 6 की ओर से समझौता दिनांक 22.7.19 को पेश हुआ।

दिनांक 16.5.2018 में कैम्प कोर्ट में वाद प्रारंभिक डिक्री किया गया और तहसीलदार कोटकासिम को वाद मिसल मय फर्द बटवारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के लिए आदेश जारी किया गया। तहसीलदार कोटकासिम ने दिनांक 3.8.2018 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किये जिस पर प्रतिवादी सं. 1 ने व उनके अधिवक्ता ने एतराज प्रार्थना पत्र पेश किया। जो स्वीकार कर तहसीलदार कोटकासिम को पक्षकारान के समक्ष पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के लिए लिखा गया। तहसीलदार कोटकासिम ने पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 27.9.19 को न्यायालय में पेश किये।

बहस विद्वान अधिवक्ताओं की सुनी गई। विद्वान अधिवक्ताओं ने तहसीलदार कोटकासिम द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव पर

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

अपनी सहमति व्यक्त की। और कहा कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री कर दिया जावे।

विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात व तहसीलदार कोटकासिम द्वारा दिनांक 27.9.19 को भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव पर मनन किया। पक्षकारान ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की है। इसलिए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 27.9.19 के वाद डिक्री किये जाने योग्य है

अतः वादी का वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री कर डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल ख.नं. 538/1 रकबा 5-07 बीघा वाके ग्राम कायमपुर गोस्वावास तहसील कोटकासिम में देवदत्त पुत्र जगराम कौम अहीर निवासी कुतुबपुर खातेदार रहन S.B.I. शाखा कोटकासिम का रहेगा।
आराजी हाल ख.नं. 538/2 रकबा 5-07 बीघा वाके ग्राम कायमपुर गोस्वावास तहसील कोटकासिम में सुमेर सिंह, निहाल सिंह, रोशनलाल देशराज, उदयसिंह पि० श्रीराम 1/2 हिस्सा, सुरेन्द्र सिंह, संजीव कुमार ईश्वर सिंह, जसवन्त सिंह पुत्रान जयपाल, सुमन देवी, ममता देवी पुत्री जयपाल, मनभावती पत्नि जयपाल 1/4 हिस्सा, राजाराम पुत्र छज्जा 1/4 हिस्सा कौम अहीर सा० कुतुबपुर तहसील कोटकासिम की रहेगी। राजी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner